



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1270/2026/576/22-2-2026-17(268)/2026
लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा० राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी वीरेन्द्र (बन्दी संख्या-28318) पुत्र श्री होरीलाल, कठिघरा, थाना-हरियावाँ, जनपद-हरदोई, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-502, 503/2011 में धारा-302/34, 504 आई०पी०सी० व धारा-3/25/27 ए. एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-02, हरदोई के आदेश दिनांक 17.10.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 02.06.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 दिन तथा 16 वर्ष, 09 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1270/2026/576(1)/22-2-2026 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, 30प्र०, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
- 3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।